न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–66/2023

राज्य

बनाम्

देवनाथ उरांव

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1020/अप0शा0 दिनांक 09.05.2023 से बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–68/2022 दिनांक–13.04.2022 में जप्त वाहन को राजसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–68/2022 दिनांक–13.04.2022 से संबंधित है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक, प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी, बालूमाथ के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–68/2022 दिनांक–13.04.2022 दर्ज किया गया। टंकित आवेदन में उल्लेखित है कि दिनांक 13.04.2022 को रात्री समय करीब 01:50 बजे पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त सूचना के आलोक में बालूमाथ थाना क्षेत्र अन्तर्गत हरैयाखांड़ स्थित अवैध कोयला खदान से अवैध कोयला का उत्खनन कर ट्रैक्टर के माध्यम से चोरी छुपे परिवहन किया जा रहा है। इस आशय का सन्हा संख्या–05/22 दिनांक 13.04.2022 दर्ज करते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मकईयाटांड़ के सशस्त्र बल के साथ सूचना स्थल की ओर प्रस्थान किया गया। समय करीब 03:10 बजे रात्री में हरैयाखांड़ स्थित जंगल पहुंचने पर एक ट्रैक्टर खड़ा पाया गया। उक्त ट्रैक्टर के पास जा कर सावधानी पूर्वक देखने पर पाया कि उक्त ट्रैक्टर सोनालिका कम्पनी का है, जिसका इंजन नं0–S324B42488, चेसीस नं0–SL0407SA43387 एवं उसके बिना रजि0 नं0 के ट्रॉली में लदा कोयला करीब तीन (03) टन एवं ट्रैक्टर के बगल में लगभग 15 टन अवैध कोयला पाया गया। ट्रैक्टर के आस–पास काफी खोजबिन के

बावजूद कोई नहीं मिला तथा कोयला से संबंधित कोई कागजात नहीं पाया गया। तत्पश्चात विधिवत जप्ती सूची बनाकर अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर ट्राली सहीत एवं ट्रैक्टर के बगल में रखा अवैध कोयला को जप्त कर बालूमाथ थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। अवैध रूप से प्रतिबंधित जंगली क्षेत्र में अवैध कोयला का भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है। इसलिए जप्त ट्रैक्टर एवं करीब 18 टन कोयला के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई किया जाय।

उपरोक्त जप्त ट्रैक्टर चेसीस नं0–SL0407SA43387 के वाहन स्वामी का नाम व पता जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से प्राप्त करने पर उक्त चेसीस नं0 के विरूद्ध ट्रैक्टर का रजि0 नं0–JH03B-0764 एवं मालिक का नाम–पता उपलब्ध कराया गया। विपक्षी देवनाथ उरांव पिता–स्व0 यदु उरांव, सा0–कुलिया धावाडीह, थाना–लेस्लीगंज, जिला–पलामू को उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत किया गया तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–68/2022 दिनांक–13.04.2022 में जप्त ट्रैक्टर पर लदे कोयला से संबंधित कोई भी वैध कागजात विपक्षी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03B-0764 चेसीस नं0–SL0407SA43387 एवं बिना रजि0 नं0 के ट्रॉली के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03B0764 चेसीस नं0–SL0407SA43387 एवं बिना रजि0 नं0 के ट्रॉली तथा 18 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहनों के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:30:08 +05:30
Location: 192.168.5.143